

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छीतर पुत्र मांगया गीणा निवासी बरदपुरा

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 216 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 209, 135, 24 कुल किता 03 रकबा 1.4326 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 209, 135, 24 कुल किता 03 रकबा 1.4326 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 216 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 216 / 2024 अनवान छीतर पुत्र मांगया मीणा निवासी बरदपुरा बलाम तहसीलदार जहाजपुर, ग्राम पंचायत अमरवासी, कैलाशी पत्नी भुवाना मीणा निवासी बरदपुरा, जगदीश पुत्र भुवाना, मीरा पुत्री भुवाना मीणा निवासी बरदपुरा, रमेश पुत्र भुवाना मीणा निवासी बरदपुरा, राधा देवी पत्नी बंशीलाल मीणा निवासी बरदपुरा, खेमराज पिता गंगाराम मीणा निवासी बरदपुरा, मोहन पुत्र मांगया मीणा निवासी बरदपुरा, रामनारायण पुत्र गोखा मीणा निवासी बरदपुरा, विष्णुप्रकाश पुत्र अणदीलाल महाजन निवासी हाल ज्योति कॉलोनी ऊंचा, प्रहलाद सिंह पिता सूरजमल मीणा निवासी बरदपुरा, कैलाश दत्तक पुत्र छीतर मीणा निवासी बरदपुरा, धर्मचंद पुत्र आनंदीलाल महाजन निवासी देवली वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 209, 135, 24 कुल किता 03 रकबा 1.4326 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / संमन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा